

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 490]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 15 नवम्बर 2011—कार्तिक 24, शक 1933

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 15 नवम्बर 2011

क्र. एफ-3-(14)-2010-एक-10.—मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम, 1981 (क्रमांक-37 सन् 1981) की धारा-13-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, लोकायुक्त की अनुशंसा पर, एतद्वारा श्री श्याम सुन्दर दुबे को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष के लिये संभागीय सतर्कता समिति, इंदौर संभाग में सदस्य के पद पर पुनः नियुक्त करती है.

No. F-3-(14)-2010-I-10.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13-A of the Madhya Pradesh Lokayukt Evam Up-Lokayukt Adhiniyam, 1981 (No. 37 of 1981), the State Government, on the recommendation of the Lokayukt, hereby re-appoint Shri Shyam Sundar Dubey as a member of the Divisional Vigilance Committee, Indore Division for the period of three years from the date of joining.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश कौल, उपसचिव.